

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH  
AT NEW DELHI

MISC. APPLICATION No.72 of 2025

IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 497 OF 2022

IN THE MATTER OF:

SUNNY YADAV

.....APPLICANT

Versus

UPPCB & ORS.

**INDEX**

.....RESPONDENTS

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply/ Response Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board.	1-5
2	<b><u>ANNEXURE-R3/1</u></b> A true copy of letters dated 11.06.2025 issued against all the defaulter brick kilns, regarding confirmation of the show cause and imposition of Environmental Compensation are collectively	6-8

DATED: 26.09.2025



**(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)**

Counsel for the Respondent UPPCB

138 New Lawyers' Chamber,

Supreme Court of India

(M): 9810252518

New Delhi- 110001

Email ID: [pradeepmisra@yahoo.com](mailto:pradeepmisra@yahoo.com)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 72 of 2025  
IN  
ORIGINAL APPLICATION NO. 497 OF 2022



IN THE MATTER OF:

SUNNY YADAV ..... APPLICANT

Versus

UPPCB & ORS. ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH  
POLLUTION CONTROL BOARD IN PURSUANCE TO THE  
ORDER DATED 28.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE  
TRIBUNAL.

I, Rajendra Prasad aged about 58 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Firozabad do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.
2. That by mean of its order dated 22.04.2024 this Hon'ble Tribunal has disposed of the Original Application No.



PAGE No. 01  
No. 01  
DATED 20/05/25



*aw*

497/2022 and directed the UPPCB to file an action taken report with regard to the appropriate action for violations of the norms and non-compliance of the consent conditions.

3. That in compliance of the above direction the UPPCB has filed an action taken report on 06.08.2024 before this Hon'ble Tribunal for consideration.
4. That upon considering the abovesaid action taken report, this Hon'ble Tribunal vide order dated 28.05.2025 has issued following directions:

*"...3. The report dated 06.08.2024 filed by the UPPCB reveals that though the show cause notice dated 15.07.2025 for imposition of EC have been issued to the three brick kilns but the report does not disclose the final order passed in pursuance to those show cause notices.*

*4. Learned Counsel for the UPPCB seeks eight weeks' time to place on record the outcome of the said show cause notice..."*

5. That UPPCB has confirmed the show cause notices against the 03 defaulter brick kilns and has imposed Environmental Compensation. The details are given below:

S. No.	Name of Brick Kiln	Letter of EC Imposition	Amount Of EC Imposed (Rs.)
1.	M/s Govind Brick Works, Village-Devamayi, Post-	11.06.2025	Rs. 1,75,000/- (Rs. One Lakh Seventy Five

PAGE No. 215  
 No. 01  
 DATED 26/08/2025  
 R



*aw*


	Odenya mandal, Tehsil and District- Mainpuri		Thousand Only)
2.	M/s Shiv Ent Bhatta, Village-Ghitauli, Tehsil and District- Mainpuri	11.06.2025	Rs. 1,75,000/- (Rs. One Lakh Seventy Five Thousand Only)
3.	M/s Dayal Brick and Tiles, Village- Nagariya, Post- Dharau, Tehsil and District-Mainpuri	11.06.2025	Rs. 1,75,000/- (Rs. One Lakh Seventy Five Thousand Only)

A true copy of letters dated 11.06.2025 issued against all the defaulter brick kilns, regarding confirmation of the show cause and imposition of Environmental Compensation are collectively being annexed herewith and marked as **Annexure No.-1**

6. That it is most respectfully submitted that the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow in Writ Petition (C) No. 4816 of 2024 vide its judgment dated 17.07.2025, directed as under:

"... (82) In view of the foregoing discussion, we hold that the State Pollution Control Board has no power to impose environmental compensation upon any person or Industry and it can merely file an application before the NGT under Section 15 read with Section 18 of the NGT Act for issuance of a direction to the person concerned for payment of compensation.

*Ch*




(83) Accordingly, all the Writ Petitions are allowed. All the orders passed by the State Pollution Control Board imposing environmental compensation upon the petitioners, which are under challenge in the Writ Petitions, are quashed. The State Pollution Control Board will be at liberty to file applications before the NGT for award of compensation. Costs made easy."

7. That it is further submitted that in view of the above judgment, the Hon'ble High Court of Allahabad has categorically held that UPPCB has no authority to impose environmental compensation directly. The Board may only approach this Hon'ble Tribunal under Sections 15 and 18 of the NGT Act for such relief. Accordingly, no further action for recovery of Environmental Compensation has been taken.

PAGE No 4/5  
S No 01  
DATED 26/08/2025  
NOTAR

8. That it is further submitted that Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal Nos. 757-760 of 2013; DPCC Vs. Lodhi Properties Company Ltd. and other connected matters vide judgment dated 04.08.2025 has upheld the powers of State Pollution Control Board to levy Environmental Compensation but it has been further held that it should not levy the same till the Rules are framed. In view of this fact Environmental Compensation.

9. That it is very humbly submitted that this Hon'ble Tribunal may impose Environmental Compensation on the defaulting



*Handwritten signature*

brick kilns as per the calculation already submitted by the UPPCB.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

*[Signature]*  
DEPONENT

**VERIFICATION**

Verified at Firozabad on this 26th day of September, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

*[Signature]*  
DEPONENT

PAGE No 5/5  
S No - 01  
DATED 26/09/2025  
ATTY AD 1



S.No. 01 Date 26/09/2025  
Shri. Rajendra Armar  
Identified by Prof. Dr. A. K. Singh  
Socio-economic status Prof. Dr. A. K. Singh  
before me in presence of  
Received rupees. 1000/- as my fee

*[Signature]*  
Shyam Sunder Sony Advocate  
NOTARY FIROZABAD  
134  
Armed Board



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



## ANNEXURE-1

पंजीकृत

पत्रांक: 129/03 / सी-4 / एनजीटी-157 / 2022 / पर्या0क्षति0 / 2025,  
सेवा में,

दिनांक: 11/6/25

मै0 गोविन्द ब्रिक वर्क्स,  
ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल,  
तहसील व जनपद-मैनपुरी।  
विषय: पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिरक्षण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-497/2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों एवं ईट भट्टे द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 14.06.2024 के अनुक्रम में बोर्ड के पत्रांक-एच14130/सी-4/एनजीटी-157/का0ब0नो0/2024, दिनांक 15.07.2024 द्वारा ईट भट्टा मै0 गोविन्द ब्रिक वर्क्स, ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=PIxNxRxSxLF$  के अनुसार  $EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/-$  मात्र प्रतिदिन की दर से 18.03.2024 से दिनांक 14.04.2024 तक अर्थात् 28 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्टों का निरीक्षण दिनांक 23.07.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्टे की ट्रेच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टों में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टों द्वारा विमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है। तदनुसार ईट भट्टों द्वारा संयुक्त जांच समिति की निरीक्षण आख्या में अंकित कमियों का निराकरण कर लिया गया है तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा पत्रांक-328/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0-497/2022/सनी यादव/2024, दिनांक 30.07.2024 एवं पत्रांक 191/एन0जी0टी0 ओ0ए0नं0-497/सनी यादव/2025 दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में ईट भट्टा मै0 गोविन्द ब्रिक वर्क्स, ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध संयुक्त जांच समिति की निरीक्षण दिनांक 18.03.2024 से निरीक्षण दिनांक 15.04.2024 (संयुक्त जांच समिति निरीक्षण आख्या में पाई गई कमियों को पूर्ण पाये जाने तक) के क्रम में रू0 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 30.07.2024 एवं 29.05.2025 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै0 गोविन्द ब्रिक वर्क्स, ग्राम-देवामई, पोस्ट-ओडेनमण्डल, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=PIxNxRxSxLF$  के अनुसार  $EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/-$  मात्र प्रतिदिन की दर से 18.03.2024 से दिनांक 14.04.2024 तक अर्थात् 28 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, मैनपुरी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

पत्रांक: 429/04 / सी-4 / एनजीटी-157 / 2022 / पर्यावरणीय / 2025

दिनांक

सेवा में,  
मै० शिव ईट भट्टा,  
ग्राम-घिटौली,  
तहसील व जनपद-मैनपुरी।

विषय: पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिरक्षण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-497/2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों एवं ईट भट्टे द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 14.06.2024 के अनुक्रम में बोर्ड के पत्रांक-एच14131/सी-4/एनजीटी-157/का०ब०नो०/2024, दिनांक 15.07.2024 द्वारा ईट भट्टा मै० शिव ईट भट्टा, ग्राम-घिटौली, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध मा० एन०जी०टी० के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=PIxNxRxSxLF$  के अनुसार  $EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/-$  मात्र प्रतिदिन की दर से 18.03.2024 से दिनांक 14.04.2024 तक अर्थात् 28 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू० 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्टों का निरीक्षण दिनांक 23.07.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्टे की ट्रेच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टों में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टों द्वारा धिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है। तदनुसार ईट भट्टों द्वारा संयुक्त जांच समिति की निरीक्षण आख्या में अंकित कमियों का निराकरण कर लिया गया है तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा पत्रांक-327/एन०जी०टी० ओ०ए० नं०-497/2022/सनी यादव/2024, दिनांक 30.07.2024 एवं पत्रांक 191/एन०जी०टी० ओ०ए०नं०-497/सनी यादव/2025 दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में ईट भट्टा मै० शिव ईट भट्टा, ग्राम-घिटौली, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध संयुक्त जांच समिति की निरीक्षण दिनांक 18.03.2024 से निरीक्षण दिनांक 15.04.2024 (संयुक्त जांच समिति निरीक्षण आख्या में पाई गई कमियों को पूर्ण पाये जाने तक) के क्रम में रू० 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 30.07.2024 एवं दिनांक 29.05.2025 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै० शिव ईट भट्टा, ग्राम-घिटौली, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=PIxNxRxSxLF$  के अनुसार  $EC=50x1x250x.5x1.0=6,250/-$  मात्र प्रतिदिन की दर से 18.03.2024 से दिनांक 14.04.2024 तक अर्थात् 28 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू० 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मैनपुरी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4



Handwritten signature/initials

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



पत्रांक: M29/25 / सी-4 / एनजीटी-157 / 2022 / पर्या0क्षति0 / 2025,  
सेवा में

दिनांक: 1-6-25  
पंजीकृत

मै0 दयाल ब्रिक एण्ड टाइल्स,  
ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ,  
तहसील व जनपद-मैनपुरी।

विषय: पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।  
महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिरक्षण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-497/2022 सनी यादव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के अनुपालन में संयुक्त जांच समिति द्वारा दिनांक 18.03.2024 को किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों एवं ईट भट्टे द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 14.06.2024 के अनुक्रम में बोर्ड के पत्रांक-एच14129/सी-4/एनजीटी-157/का0ब0नो0/2024, दिनांक 15.07.2024 द्वारा ईट भट्टा मै0 दयाल ब्रिक एण्ड टाइल्स, ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$  के अनुसार  $EC=50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0=6,250/-$  मात्र प्रतिदिन की दर से 18.03.2024 से दिनांक 14.04.2024 तक अर्थात 28 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के प्राधिकारियों द्वारा संदर्भित ईट भट्टों का निरीक्षण दिनांक 23.07.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार ईट भट्टे की ट्रेंच के चारों तरफ ईट निर्मित रोड (पेप रोड) बना हुआ पाया गया। ईट भट्टे के क्लस्टर में पेड़ तथा ईट भट्टे के चारों तरफ वृक्ष लगा हुआ पाया गया। ईट भट्टों में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले कोयले को ईट निर्मित कमरे में रखा हुआ पाया गया तथा तुरी को तिरपाल से ढका हुआ पाया गया। ईट भट्टों द्वारा चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की मॉनीटरिंग करा लिया गया है। तदनुसार ईट भट्टों द्वारा संयुक्त जांच समिति की निरीक्षण आख्या में अंकित कमियों का निराकरण कर लिया गया है तथा राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अंकित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद द्वारा पत्रांक-326/एन0जी0टी0 ओ0ए0 नं0-497/2022/सनी यादव/2024, दिनांक 30.07.2024 एवं पत्रांक 191/एन0जी0टी0 ओ0ए0नं0-497/सनी यादव/2025 दिनांक 29.05.2025 के माध्यम से प्रेषित आख्या में ईट भट्टा मै0 दयाल ब्रिक एण्ड टाइल्स, ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध संयुक्त जांच समिति की निरीक्षण दिनांक 18.03.2024 से निरीक्षण दिनांक 15.04.2024 (संयुक्त जांच समिति निरीक्षण आख्या में पाई गई कमियों को पूर्ण पाये जाने तक) के क्रम में रू0 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद से प्राप्त आख्या/संस्तुति दिनांक 30.07.2024 एवं 29.05.2025 के अनुक्रम में ईट भट्टा मै0 दयाल ब्रिक एण्ड टाइल्स, ग्राम-नगरिया, पोस्ट-धारऊ, तहसील व जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र  $EC=PI \times N \times R \times S \times L \times F$  के अनुसार  $EC=50 \times 1 \times 250 \times 5 \times 1.0=6,250/-$  मात्र प्रतिदिन की दर से 18.03.2024 से दिनांक 14.04.2024 तक अर्थात 28 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,75,000/- (रूपया एक लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Air pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी, मैनपुरी।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित ईट भट्टे के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को राज्य बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

Handwritten signature/initials